न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला—सांचौर

पीठासीन अधिकारी :— श्री-प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :— 15/2015

जी.सी.एम.एस. नंबर :— 2015/00141

प्रार्थीया बनाम अप्रार्थी

श्रीमती पालू धर्मपत्नी सुरजनराम, जति—बिश्नोई, निवासी—बिजरोल खेड़ा, तहसील व जिला—सांचौर

सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

तारीख रजु :— 15.09.2015

उपस्थिति :—

1. प्रार्थीया की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पुनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांक :— 25.07.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का पेश किया, बाद कार्यालय टिप्पणी प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बिजरोल के पुराना खसरा संख्या 97/1 रकबा 20 बीघा भूमि प्रार्थीया ने जोरा पुत्र भूरा जाति—कलबी, निवासी—बिजरोल से जरिये बेचान दस्तावेज खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था, तब से लेकर आज दिन तक सहज शांतिपूर्ण निर्बाध रूप से प्रार्थीया का कब्जा चला आ रहा है। जोरा ने प्रार्थीया के पक्ष में दिनांक 04.06.1984 को उप पंजियक कार्यालय सांचौर में बेचान दस्तावेज पंजियन करवाया जो संलग्न प्रार्थना—पत्र है। उक्त बेचान दस्तावेज के माफिक नामान्तरकरण संख्या 225 भरा जाकर बाद जांच विधिवत् स्वीकृत होकर प्रार्थीया के नाम रकबा 20 बीघा की खातेदारी अमलदरामद हुई, तब से लेकर आज दिन तक प्रार्थीया का कब्जा काश्त 20 बीघा भूमि पर है। द्वितीय सेटलमेंट के दौरान पुराना खसरा संख्या 97/1 व 97 मीन के ग्राम बिजरोल गोलिया, पटवार क्षेत्र—बिजरोल के नाम खसरा [illegible] रकबा [illegible] हैक्टेयर, खसरा संख्या 215 रकबा 2.59 हैक्टेयर, खसरा संख्या 218/383 रकबा [illegible] हैक्टेयर, खसरा संख्या 209 रकबा 4.54 हैक्टेयर नवसृजित हुए। प्रार्थीया [illegible] रकबा 20 बीघा के बराबर यानि 3.20 हैक्टेयर भूमि मौके पर कब्जा काश्त अनुसार रेकर्ड तजवीज करते वक्त करना था जो लिपिकीय भूल से बिना किसी आधार प्रार्थीया के खाते में 3.20 हैक्टेयर के बजाय 2.83 हैक्टेयर भूमि दर्ज कर प्रार्थीया के खाते में 0.37 हैक्टेयर भूमि लिपिकीय भूल से कम दर्ज कर दी तथा प्रार्थीया का नाम पालू की जगह पल्वू लिपिकीय भूल से दर्ज कर दिया,

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 14:08:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

जो ऐसा करने का द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों को कानूनी अधिकार नहीं था, उक्त लिपिकीय भूल को दुरुस्त करने का प्रार्थीया हकदार होने से रेकर्ड दुरुस्ती का प्रार्थना–पत्र पेश है।

प्रार्थीया का नाम कभी भी पल्वू नहीं रहा, प्रार्थीया का वास्तविक नाम पालू है जो बेचान दस्तावेज में भी खरीद के वक्त श्रीमती पालू लिखा गया है इसके समर्थन में राशन कार्ड, आधार कार्ड में भी पालू है। जिससे पालू नाम दुरुस्त किया जाना न्यायसंगत है तथा प्रार्थीया खरीदसूदा रकबा 20 बीघा भूमि खरीद अनुसार स्वीकृत नामान्तरकरण अनुसार दर्ज खातेदारी अनुसार 20 बीघा भूमि के बराबर लिपिकीय भूल को सुधारते हुए रेकर्ड दुरुस्ती किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि में लिपिकीय भूल से दर्ज नाम पल्वू की जगह पालू के नाम दर्ज किया जावें तथा रकबा 2.83 हैक्टेयर भूमि की जगह खरीदसूदा बेचान दस्तावेज के अनुसार स्वीकृत नामान्तरकरण माफिक अमलदरामद खातेदारी अनुसार 20 बीघा रकबा के बराबर यानि 3.20 हैक्टेयर भूमि की लिपिकीय भूल को रेकर्ड दुरुस्ती करने का आदेश तहसीलदार सांचौर को जारी फरमावें।

अप्रार्थी की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बिजरोल गोलिया के पुराने खसरा संख्या 97 रकबा 20 बीघा में से प्रार्थीया ने 20 बीघा भूमि जरिये बेचान रजिस्ट्री खरीदकर मौके पर कब्जा प्राप्त किया। वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थीया के नाम खसरा संख्या 214, 215, 218/383 कुल रकबा 2.83 हैक्टेयर दर्ज है जो खरीद भूमि 20 बीघा से कम दर्ज है जबकि बेचानकर्ता के शेष आराजी का रकबा 48 बीघा 11 बिस्वा की बजाय खसरा संख्या 209, 207/382 कुल रकबा 5.03 हैक्टेयर अर्थात् 31 बीघा 1 बिस्वा दर्ज है इस प्रकार खसरा संख्या 209 में 0.41 हैक्टेयर भूमि सामती के वारिसदारान के पास अधिक है एवं पालु देवी के 0.41 हैक्टेयर भूमि कम है जो कि द्वितीय भू–प्रबंध के वक्त कमी बेशी हुई है। अतः रेकर्ड दुरुस्ती की जाती है तो राज्य सरकार का कोई हित प्रभावित नहीं होता है।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा बिजरोल के पुराना खसरा संख्या 97/1 रकबा 20 बीघा भूमि प्रार्थीया ने जोरा पुत्र भूरा से जरिये बेचान दस्तावेज खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था, जिसके नवीन खसरा संख्या 214 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 215 रकबा 2.?? हैक्टेयर, खसरा संख्या 218/383 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा संख्या 209 रकबा 4.54 हैक्टेयर सृजित हुए प्रार्थीया की खरीदसुदा भूमि का रकबा 20 बीघा के बराबर यानि 3.20 हैक्टेयर भूमि कब्जा अनुसार रेकर्ड में दर्ज करना था, जो लिपिकीय भूल से प्रार्थीया के खाते में 3.20 हैक्टेयर के बजाय 2.83 हैक्टेयर भूमि दर्ज कर प्रार्थीया के खाते में 0.37 हैक्टेयर भूमि लिपिकीय भूल से कम दर्ज कर दी गई तथा प्रार्थीया का नाम पालू की जगह पल्वू लिपिकीय भूल से दर्ज कर दिया। अतः प्रार्थना–पत्र. पेश कर निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि में लिपिकीय भूल से दर्ज नाम पल्वू की

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 14:08:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

जगह पालू नाम दर्ज किया जावें तथा रकबा 2.83 हैक्टेयर भूमि की जगह खरीदसुदा बेचान दस्तावेज के अनुसार रकबा 20 बीघा के बराबर यानि 3.20 हैक्टेयर भूमि दर्ज कर लिपिकीय भूल सुधारने का आदेश फरमावें। राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर ने अपनी बहस में निवेदन किया कि गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाता है तो राज्य सरकार का कोई हित प्रभावित नहीं होता है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी, नकल मिलान क्षैत्रफल, नकल नामान्तरकरण संख्या 225 ग्राम बिजरोल, नकल राशन कार्ड, आधार कार्ड, नकल ट्रेस नक्शा पुराना व नया एवं जवाब राज पैरोकार तहसीलदार सांचौर के अवलोकन से स्पष्ट है कि द्वितीय भू प्रबंध के वक्त कमी बेशी हुई है अतः उपरोक्त तमाम दस्तावेजात् से प्रार्थीया का नाम पल्वू की जगह पालू किया जाना एवं रकबा 2.83 हैक्टेयर की जगह खरीदसुदा बेचान दस्तावेज के अनुसार स्वीकृत नामान्तरकरण के अनुसार रकबा 20 बीघा के बराबर यानि 3.20 हैक्टेयर का रेकर्ड दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

परिणामस्वरूपः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि मौजा बिजरोल के खसरा संख्या 214 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 215 रकबा 2.59 हैक्टेयर, खसरा संख्या 218/383 रकबा 0.23 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीया का नाम पल्वू की जगह पालू के नाम की इन्द्राज दुरूस्ती की जावें तथा उक्त प्रार्थीया के रकबा 2.83 हैक्टेयर भूमि की जगह खरीदसुदा बेचान दस्तावेज एवं स्वीकृत नामान्तरकरण माफिक रकबा 20 बीघा यानि 3.20 हैक्टेयर भूमि की इन्द्राज दुरूस्ती की जावें उक्त 0.37 हैक्टेयर कम भूमि का रकबा खसरा संख्या 209 के खातेदार सामती के वारिसान के रकबे में से कम कर प्रार्थीया की बेचान दस्तावेज अनुसार 3.20 हैक्टेयर दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्ती की जावें।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को सरे इजलास [illegible] गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 14:08:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner